भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 69B/2016-17

वृषकेतू नायक **बनाम** दीपक रविदास

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
21-04-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 280 दिनांक 22.02.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 69 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता वृषकेतु नायक, पिता स्व0 कृष्णा नायक उर्फ कुर्सो नायक, ग्राम-उकरी, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध हेतु क्रेता दीपक रविदास, पिता-श्री अर्जुन रविदास, ग्राम-सीनी डोमपाड़ा, थाना-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
दुगनी	199	282	228	6.25डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से क्रय की गई भूमि है। विक्रेता अपने हिस्से की अंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 3.88 एकड़ जमीन है, जिसमें से 6.25 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.81.75 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला, जाति 'मोची' एवं 'भुईयाँ' है, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 6.25 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

21/04/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner